संख्या-45/2022/001-यू.ओ.11/सैंतीस-2-2022

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-13 मई, 2022

विषयः- **रिट याचिका संख्या-25848 (एस.एस.)/2020 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम जगदीश में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-06.04.2021 के अनुपालन में वादी श्रमिक को अनुकम्पा के आधार पर रू0-25,000.00 का भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-165/स्था0-2/1-ख/13(1598)/2021, दिनांक-12.04.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 औद्योगिक न्यायाधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अभिनिर्णय वाद संख्या-50/2019 में पारित आदेश दिनांक-27.11.2019 एवं रिट याचिका संख्या-25848(एस.एस.)/2020 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम जगदीश में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-06.04.2021 के अनुपालन में वादी श्रमिक को अनुकम्पा के आधार पर रू0-25,000.00 का भुगतान किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में लेखाशीर्षक 2403-पशुपालन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय के मानक मद 42-अन्य व्यय (भारित) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0-0.25 लाख (रूपये पच्चीस हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 015 **लेखा शीर्षक** 2403000010300 निदेशालय **मानक मद** 42 अन्य व्यय (भारित) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक-30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक-29 मार्च 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-45/2022/001-यू.ओ.11(1)/सैंतीस-2-2022- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी एवं संबंधित जिलाधिकारी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. उप निदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, महानगर, लखनऊ/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।